न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/32/2019	02–07–2019	01–08–2019

1– गीता देवी पत्नी श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1– भारती देवी पत्नी श्री नानकचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0 हाल आबाद बासड़ा रोड़ किशनगढ–बास।

2– श्री सुरेन्द्र प्रसाद, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

3– वीरसिंह पुत्र फूल सिंह जाति जाट

4– सत्यपाल पुत्र फूल सिंह जाति जाट

5– कल्लो बेवा भोला जाति माली

6– साहबराम पुत्र भोला जाति माली

7– गिर्राज पुत्र भोला जाति माली

8– लक्ष्मण पुत्र बुद्धा जाति माली निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील प्रार्थीगण

02. श्री ओमानन्द चौधरी –वकील असल अप्रार्थी सं0 1

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी भारती बनाम गीता देवी अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बअनुवानी भारती बनाम गीता देवी उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 17.06.2019 को दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2019 नियत की गई। किन्तु दिनांक 26.06.2019 को निर्णय पारित नहीं करके दिनांक 03.07.2019 नियत की गई। वक्त बहस पीठासीन अधिकारी द्वारा जाहिर किया गया कि मुकदमा बटवारा का है। वादी जिस तरह बटवारा करना चाहेगा उसी अनुसार बटवारा होगा। यह बात सुनकर प्रार्थी को मानसिक वेदना हुई। क्योंकि असल अप्रार्थी मौके के विरूद्ध बटवारा कराना चाहता है तथा ऐलानिया तौर पर धमकी देता है कि विवादित आराजी का बटवारा अपनी सुविधा अनुसार करवाउंगा। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी 4 साल पहले खरीद की हुई है। विक्रय के समय जो सहकाश्तकार थे उनका आपस में बटवारा हो चुका था तथा प्रार्थी के विक्रेता झूथा पुत्र चेतू सैनी का जिस जगह कब्जा था। उस जगह हमको कब्जा दिया गया था। उक्त समय से ही हम अपने हिस्से पर काबिज है। वर्तमान में प्रार्थी के हिस्से की आराजी –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जो सडक से लगती हुई है की कीमत ज्यादा होने के कारण अप्रार्थी के मन में लालच आ गया है। अप्रार्थी के पति जो राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उपखण्ड अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर निस्पक्ष न्याय करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी के परिवार वालो ने अप्रार्थी के पति को बहस के बाद कई बार उपखण्ड अधिकारी के आवास से निकलते हुए देखा है। इसलिए प्रार्थी को यह भय उत्पन्न हो गया है कि उनको निस्पक्ष न्याय नहीं मिल पायेगा। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल स्वीकार फरमाया जाकर बउनवान भारती देवी बनाम गीता देवी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढंत व आधारहीन पेश किये गये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावलियों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा विविध प्रकियानुसार कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थिनी की पीठासीन अधिकारी से कोई जान–पहचान नहीं है। ना मैनें कभी पीठासीन अधिकारी से चैम्बर में कोई बातचीत की है। प्रार्थिया ने प्रा0पत्र मिन असल अप्रार्थिनी को तंग व परेशान करने व मुकदमा को देरी करने के लिए किया गया है। प्रार्थिया द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। बल्कि स्वंय प्रार्थिया गीता देवी पूर्व सरपंच है तथा उसका जैठ फूलसिंह वर्तमान में सरपंच है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल पोषणीय ना होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण भारती देवी बनाम गीता देवी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रा0पत्र में अंकित सभी तथ्य मनगढंत व झूठे है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

01/08/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)